कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 28/09/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 27.09.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. गाजीपुर पुलिस द्वारा IS-191 गैंग के पूर्व सरगना मृत मुख्तार अंसारी का सहयोगी रेयाज अहमद अंसारी की संगठित अपराध से अर्जित बेनामी अचल संपत्ति/भूमि जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 24 करोड़ रूपये है, को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी ।

शासन द्वारा चिन्हित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 12.09.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर द्वारा पारित कुर्की आदेश अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत द्वारा IS-191 गैंग के पूर्व सरगना मृत मुख्तार अंसारी का सहयोगी रेयाज़ अहमद अंसारी द्वारा संगठित अपराध से अर्जित बेनामी भूमि/अचल सम्पत्ति जिसकी अनुमानित बाजारु कीमत 24,00,00,000-/ (चौबीस करोड़ रूपये लगभग) है, जिसे आज दिनांक 27/09/2025 को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त रेयाज अहमद अंसारी पुत्र मृत अब्दुल मन्नान निवासी कस्बा बहादुरगंज थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर उपरोक्त द्वारा लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने, अपने तथा गैंग के अन्य सदस्यों के लिए आर्थिक,भौतिक व दुनियाबी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों से अर्जित धन से अचल संपत्ति जो कि अभियुक्त रेयाज अहमद अंसारी द्वारा अपने खास सहयोगी फरारशुदा अभियुक्त परवेज जमाल की पत्नी यासमीन जमाल व उसके पिता ऐनुलहक के नाम से क्रय की गयी सम्पत्ति को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम मे कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी ।

कुर्क की गई भू-सम्पत्ति का विवरण–

(1). मौजा सिउरा परगना जहूराबाद तहसील कासिमाबाद जनपद गाजीपुर में गाटा संख्या 602 रकबा 0.057 हे0 में से क्रेती यासमीन जमाल पत्नी परवेज जमाल द्वारा रकबा 0.023 हे0 यानि 0-5-10 का 1/3 यानि 0.023 हे0 यानि 01 बिस्वा 16-2/3 धूर यानि 233.36 वर्ग मीटर के नाम से क्रय की गई। उक्त भूमि की वर्तमान में प्रचलित बाजारू दर पर अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ 90 लाख रूपये मात्र (3,9000000/-) है।

(2). मौजा अब्दुलपुर परगना जहूराबाद तहसील कासिमाबाद जनपद गाजीपुर में आ0न0 233 रकबा 0.033 हे0 में से 0-1-6 व आ0न0 234 रकबा 0.048 हे0 मे से 0-2-1 व आ0न0 235 रकबा 0.133 हे0 मे से 0-0-10 धूर कुल तीन गाटा रकबा 0-3-17 यानि 488.95 वर्ग मीटर क्रेती यासमीन जमाल पत्नी परवेज जमाल के नाम से क्रय की गई है। उक्त भूमि की वर्तमान में प्रचलित बाजारू दर पर अनुमानित कीमत लगभग 11 करोड़ 66 लाख रूपये मात्र (11,6600000/- रू0) है।

(3). मौजा अब्दुलपुर परगना जहूराबाद तहसील कासिमाबाद जनपद गाजीपुर में आ0न0 193/4 क्षेत्रफल 0.126 हे0 मे से 0.0127 हे0 अर्थात 127 वर्गमीटर जमीन क्रेती यासमीन जमाल पत्नी परवेज जमाल के नाम से क्रय की गई है ।उक्त भूमि की वर्तमान में प्रचलित बाजारू दर पर अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ 15 लाख रूपये मात्र (3,1500000/- रू0) है।

(4). मौजा अब्दुलपुर परगना जहूराबाद तहसील कासिमाबाद जनपद गाजीपुर में आ0न0 215 क्षेत्रफल 0.072 हे0 मे से 0.0127 हे0 अर्थात 127 वर्गमीटर जमीन क्रेती यासमीन जमाल पत्नी परवेज जमाल के नाम से क्रय की गई है ।उक्त भूमि की वर्तमान में प्रचलित बाजारू दर पर अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ 90 लाख रूपये मात्र (1,9000000/- रू0) है।

(5). मौजा सरायलखन्सी परगना व तहसील सदर मऊनाथ भंजन जनपद मऊ में आ0न0 1035 रकबा 056 कडी, यानि 22.67 एयर,यानी 226.8 वर्ग मीटर क्रेता ऐनुलहक पुत्र सत्तार नि0ग्राम मोहल्ला इमली टाल कस्बा बहादुरगंज तहसील कासिमाबाद जनपद गाजीपुर के नाम से क्रय की गई है।उक्त भूमि की वर्तमान में प्रचलित बाजारू दर पर अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ 64 लाख रूपये मात्र (1,6400000/- रू0) है।

(6). मौजा जहागिराबाद परगना व तहसील सदर जनपद मऊ में आ0न0 38 रकबा 056 कडी, यानि 226.8 वर्ग मीटर क्रेती यासमीन जमाल पत्नी परवेज जमाल सरंक्षिका माता हकीकी नाबालिक पुत्र अहद जमाल पुत्र परवेज जमाल साकिन ईमली टाल कस्बा बहादुरगंज जनपद गाजीपुर के नाम से क्रय की गयी है । उक्त भूमि की वर्तमान में प्रचलित बाजारू दर पर अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ 64 लाख रूपये मात्र (1,6400000/- रू0) है।

नोट- उक्त समस्त भूमि कि वर्तमान मे प्रचलित बजारू दर पर अनुमानित कीमत लगभग 240000000-/ (24 करोड रूपये लगभग) है ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–

अभियुक्त रेयाज अहमद अंसारी का अपराधिक इतिहास का विवरण निम्नलिखित हैं-

(1). मु0अ0स0 270/13 धारा 332/353/506 भादवि थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

(2). मु0अ0स0 866/14 धारा 323/504/442/354क भादवि थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

(3). मु0अ0स0 88/16 धारा 452, 506 भादवि थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

(4.) मु0अ0स0 322/23 धारा 386, 448, 506, 120B भादवि थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

(5). मु0अ0स0 283/23 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

(6). मु0अ0स0 06/24 धारा 347, 348, 506, 379 भादवि थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

(7). मु0अ0स0 68/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

(8). मु0अ0स0 275/24 धारा 296, 308(5), 351(3), 352 BNS थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

(9). मु0अ0स0 334/24 धारा 318(4),338,336(3),340(2),61(2) BNS थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

(10). मु0अ0स018/25 धारा 3(1)(ध),3(1)(द),3(2)(V) SC-ST Act,115(2), 308(5), 351(3), 352 BNS थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

(11). 323/25 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

अभियुक्त परवेज जमाल का अपराधिक इतिहास का विवरण निम्नलिखित हैं-

(1). मु0अ0स0 283/2023 420,467,468,471,120 B भादवि थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

(2). मु0अ0स0 334/2024 318(4),338,336(3),340(2),61(2) BNS थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

(3). मु0अ0स0 28/2025 351(3), 61(2) BNS थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

(4). मु0अ0स0 57/2025 308(5), 351(3), 352 BNS थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

(5). मु0अ0स0 323/25 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

02- साइबर सेल जनपद गाजीपुर के प्रयास से शिकायतकर्ता बैजनाथ गुप्ता के साथ यूपीआई द्वारा फ्राड की गयी 6,55,000/- रूपये की धनराशि वापस कराई गई।

जनपद गाजीपुर द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं साइबर धोखाधड़ी रोकने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत बैजनाथ गुप्ता पुत्र सुभाष गुप्ता ग्राम- वार्ड नम्बर-10 शास्त्रीनगर, थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर के साथ यूपीआई के द्वारा फ्राड किया गया तथा उनके द्वारा तत्काल साइबर हेल्प लाइन नं0 1930 पर काल करके आनलाइन शिकायत दर्ज करायी गयी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल साइबर सेल जनपद गाजीपुर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए साईबर सेल प्रभारी उ0नि0 शिवाकांत मिश्रा मय टीम द्वारा दिनांक 27.09.2025 को बैजनाथ गुप्ता के खाते में उनके साथ फ्राड की गयी 6,55,000 रू0 की धनराशि वापस करायी गयी।

03- थाना सादात पुलिस टीम द्वारा महिलाओं/बालिकाओं पर अश्लील/अभद्र टिप्पणी करने वाले 02 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 26.09.2025 को मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के क्रम में उ0नि0 अविनाश मणि तिवारी व उ0नि0 हरिहर प्रसाद मिश्रा मय हमराह द्वारा कट्या चट्टी से 500 मीटर की दूरी पर बालिकाओ पर अभद्र टिप्पणी करने वाले अभियुक्त विकास राजभर पुत्र चन्द्रिका राजभर को दिनांक 26.09.2025 को गिरफ्तार कर मु0अ0स0 184/25 धारा 296 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात् चेकिंग के दौरान पुलिस टीम द्वारा मजुई चौराहे के पास से महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले 01 नफर अभियुक्त श्यामजीत पुत्र राजाराम को गिरफ्तार कर मु0अ0स0 185/25 धारा 296 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. विकास राजभर पुत्र चन्द्रिका राजभर निवासी ग्राम मजुई(राजभर बस्ती) थाना सादात गाजीपुर उम्र करीब 21 वर्ष
2. श्यामजीत पुत्र राजाराम निवासी ग्राम मजुई थाना सादात गाजीपुर उम्र करीब 27 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. 1. विकास राजभर पुत्र चन्द्रिका राजभर निवासी ग्राम मजुई(राजभर बस्ती) थाना सादात गाजीपुर – मु0अ0स0 184/25 धारा 296 बीएनएस
2. श्यामजीत पुत्र राजाराम निवासी ग्राम मजुई थाना सादात गाजीपुर-- मु0अ0स0 185/25 धारा 296 बीएनएस

04- थाना नन्दगंज पुलिस टीम द्वारा महिलाओं/बालिकाओं पर अश्लील/अभद्र टिप्पणी करने वाले 02 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 27.09.2025 को मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के क्रम में उ0नि0 श्री रवि प्रताप यादव मय हमराह स्कूलों, कॉलेजों, बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाकर लोगों को जागरूक करते हुए क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि शहीद स्मारक इण्टर कालेज गेट के सामने दो व्यक्ति खडे होकर आने जाने वाली महिलाओं/बालिकाओं के साथ छींटाकसी/अभद्र कमेन्ट कर रहे। दोनों व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लिया गया। जिनके विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 273/2025 धारा 296 बी0एन0एस0 में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

योगेन्द्र कुमार पुत्र श्री हेमराज बिंद निवासी ग्राम जमीन मुडरभा थाना नंदगंज जनपद गाजीपुर उम्र 21 वर्ष

विश्वनाथ बिंद पुत्र स्व0 सिक्रम बिंद निवासी ग्राम जमीन मुडरभा थाना नंदगंज जनपद गाजीपुर उम्र 19 वर्ष

05. मिशन शक्ति-05" उ0प्र0 शासन के आदेशानुसार महिला सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे "मिशन शक्ति" अभियान फेज-05 के अंतर्गत आज दिनांक 27.09.2025 को थाना सादात पुलिस टीम द्वारा महिलाओं/बालिकाओं पर अश्लील/अभद्र टिप्पणी करने वाले 02 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 27.09.2025 को मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के क्रम में उ0नि0 केसार अहमद मय हमराह द्वारा मौनी बाबा आश्रम के पास बालिकाओ पर अभद्र टिप्पणी करने वाले 01 नफर अभियुक्त अमित कुमार भारद्वाज पुत्र स्व0 संकठा भारद्वाज निवासी ग्राम महमूदपुर वार्ड न. 10 सादात जनपद गाजीपुर उम्र करीब 34 वर्ष को गिरफ्तार कर मु0अ0स0 186/25 धारा 296 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा उ0नि0 अनिरुद्ध कुमार द्विवेदी मय हमराह द्वारा शीतला माता मन्दिर ससना के पास से 01 नफर अभियुक्त अभिषेक राजभर पुत्र केशव राजभर निवासी ग्राम बाबूराजपुर मानपुर थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर जो महिलाओ अभद्र टिप्पणी कर रहा था को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 187/25 धारा 296 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है

गिरफ्ताशुदा अभियुक्तगण का नाम :-

1. अमित कुमार भारद्वाज पुत्र स्व0 संकठा भारद्वाज निवासी ग्राम महमूदपुर वार्ड न. 10 थाना सादात गाजीपुर उम्र करीब 34 वर्ष
2. अभिषेक राजभर पुत्र केशव राजभर निवासी ग्राम मानपुर थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 25 वर्ष

06. थाना दुल्लहपुर पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के क्रम में मु0अ0स0 218/25 धारा 64(1),33,351(2) बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट मे वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 27.09.2025 को मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष दुल्लहपुर मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 218/25 धारा 64(1),33,351(2) बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट मे वांछित चल रहे अभियुक्त करन चौहान

पुत्र विरेन्द्र चौहान नि0 मोलनापुर थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर को मुखबीर खास की सूचना पर ग्राम चुरामनपुर मोड़ से गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तारशुदा अभियुक्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।
अभियुक्त का नाम पता-
करन चौहान पुत्र विरेन्द्र चौहान नि0 मोलनापुर थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर
अपराधिक इतिहास –
01- मु0अ0सं0 218/25 धारा 64(1),333,351(2) बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो थाना दुल्लहपुर गाजीपुर
02- मु0अ0सं0 10/20 धारा 363,366,376 डी भादवि थाना दुल्लहपुर गजीपुर

07. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के क्रम में जालान्स माल में महिला के बैग से 28500 रुपये चोरी करने वाली अभियुक्ता को किया गाया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 27.09.2025 को मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के क्रम में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 747/25 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्ता को मुखबिर खास की सूचना पर कोतवाली पुलिस मय शक्ति मोबाइल टीम द्वारा सिचाई विभाग चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त घटना मे चोरी गये 28500 रुपये को अभियुक्ता के निशान देही पर बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है
बरामदगी का विवरण-

1. चोरी का कुल 28500 रुपये

अभियुक्ता आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 747/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर।
2. मु0अ0सं0 1109/17 धारा 380,411 भादवि थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर।

08. थाना बिरनो पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 132/2025 धारा 115(2),191(2),109,103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 27.09.2025 को थाना प्रभारी बिरनो मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 132/2025 धारा 115(2),191(2),109,103(1) बीएनएस थाना बिरनो जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित अभियुक्त बृजभान यादव पुत्र सुमन्त यादव निवासी नरवर थाना मरदह जनपद गाजीपुर को गुलाल सराय कट के पास गिरफ्तार किया गया।। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-
बृजभान यादव पुत्र सुमन्त यादव निवासी नरवर थाना मरदह जनपद गाजीपुर

09. थाना बिरनो पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 90/2025 धारा 191(2),115(2),333,352,110,105 बीएनएस से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 27.09.2025 को थाना प्रभारी बिरनो मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 90/2025 धारा

191(2),115(2),333,352,110,105 बीएनएस थाना बिरनो जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. बीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 भोला सिंह नि0 बद्धोपुर छतरमा थाना बिरनो जनपद गाजीपुर 2. राजेश सिंह उर्फ पियूश सिंह पुत्र फलेन्द्र सिंह नि0 राउत मऊ जनपद सिधारी जनपद आजमगढ को बद्धोपुर नहर थाना बिरनो जनपद गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया ।गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता -

1. बीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 भोला सिंह नि0 बद्धोपुर छतरमा थाना बिरनो जनपद गाजीपुर
2. राजेश सिंह उर्फ पियूश सिंह पुत्र फलेन्द्र सिंह नि0 राउत मऊ जनपद सिधारी जनपद आजमगढ

10. शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं/बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के तहत जनपद के थाना जमानिया पुलिस द्वारा 02 परिवारों में चल रहे विवाद का निस्तारण कर पति-पत्नी को साथ रहने हेतु सहमत किया गया ।

अवगत कराना है कि थाना जमानिया अंतर्गत दिनांक 26.09.2025 को प्रार्थना पत्र आवेदिका द्वारा प्राप्त हुआ। जिसमें वर्णित किया गया कि मेरे पति द्वारा शराब पीकर मेरे साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी दी जाती है। प्रार्थना की जांच के क्रम में उभय पक्षों को दिनांक 26.09.2025 को थाना स्थानीय पर बुलाया गया। उभय पक्षों को मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह ,उ0नि0 श्री अभिनव कुमार गुप्ता ,मु0आ0 प्रिया द्विवेदी ,आ0 गोविन्द चौहान (मिशन शक्ति केन्द्र टीम) के द्वारा सामाजिक व पारिवारिक महत्व के बारे में कई स्तर पर समझाया बुझाया गया, काफी समझाने बुझाने के पश्चात दोनों पक्षों द्वारा यह फैसला लिया गया कि हम दोनों पति पत्नी भविष्य में कभी विवाद नहीं करेगें व दोनों पति-पत्नी राजी खुशी रहेगें।
इसी क्रम में द्वितीय परिवार के आवेदक मिथलेश कुमार पुत्र जगदीश निवासी ग्राम दरौली थाना जमानियां जनपद गाजीपुर का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिसमें आवेदक द्वारा वर्णित किया गया था कि मेरी पत्नी शादी के पश्चात से ही परिवार में विवाद करती है ,काम धन्धा नहीं करती है तथा मां से हमेशा झगड़ा करती रहती है। प्रार्थना पत्र की जांच के क्रम मे दिनांक 27.09.2025 को दोनों पक्षों थाना हाजा बुलाया गया तथा उभयपक्षों को मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह ,उ0नि0 श्री अभिनव कुमार गुप्ता ,म0मु0आ0 प्रिया द्विवेदी ,आ0 गोविन्द चौहान (मिशन शक्ति केन्द्र टीम) के द्वारा सामाजिक व पारिवारिक महत्व के बारे में कई स्तर पर समझाया बुझाया गया, काफी समझाने बुझाने के पश्चात दोनों पक्षों द्वारा यह फैसला लिया गया कि हम दोनों पति पत्नी भविष्य में कभी विवाद नहीं करेगें व दोनों पति पत्नी राजी खुशी रहेगें। तत्पश्चात वीडियोग्राफी करते हुए हम दोनों पक्षों को एक साथ रहने की अनुमति प्रदान की गई ,हम दोनों परिवार के लोग आपस में एक साथ रहने का पुनः संकल्प लेते हैं जिसमें थाना जमानिया के मिशन शक्ति केंद्र के लोगों का शुक्रिया अदा किया गया।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर